खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान

FAQ (Frequently Asked Questions)

1- 2026-27 में गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है ?

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राज्य सरकार राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत पृथक से अपनी ओर से Rs.150/-प्रति क्विंटल समर्थन राशी दे रही है। इस प्रकार कृषक को उसके द्वारा विक्रय किये गए गेहूं के लिये ₹2735/- प्रति क्विंटल मिलेगा।

2- ऑनलाइन गेहूं खरीद के लिए किसान पंजीकरण कैसे करें ?

गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर ऊपर दायीं ओर दिये गये **"गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन"** पर क्लिक करें। **इस पोर्टल पर केवल गेहूँ की ही खरीद की जा सकती हैं।**

3- रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी ?

1- जनाधार, बैंक पास बुक

2- बैंक पासबुक आवश्यक होगी क्योंकि किसानों की उपज का समर्थन मूल्य मय बोनस सीधे जनाधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। बैंक खाता संख्या / IFSC Code का मिलान भी हो जायेगा।

3- स्वयं की भूमि की खसरा संख्या एवं स्वयं की भूमि नहीं होने और बटाईदार होने की स्थिति में स्व घोषणा का दस्तावेज।

4- किसान पंजीकरण करते समय अपना बैंक खाता का विवरण कैसे देखे ?

1- जन आधार कार्ड में किसान के परिवार के सदस्य की सूची प्रदर्शित होगी।

2- जिसके नाम से जमीन है उसके नाम को चुनें। जिस व्यक्ति के नाम जमीन है उसी के खाते में फसल बेचान की राशि आयेगी।

3- फिर खाताधारक का विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें खाताधारक का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पता और बैंक खाते का विवरण प्रदर्शित होगा।

5- रजिस्ट्रेशन में ओटीपी जरूरी है क्या ?

किसानों के पंजीकरण के दौरान SMS के माध्यम से मोबाइल पर ओटीपी आयेगा। इसे भरने के बाद ही पंजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ होगी।

6- किसान पंजीकरण में ओटीपी (OTP) नहीं आये तो क्या करें ?

किसान के जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी (OTP) जायेगा। अगर मोबाइल नंबर गलत है तो मोबाइल नंबर को जन आधार में अपडेट करायें।

7- किसान खरीद केंद्र का चयन कैसे करें?

किसान को उस खरीद केंद्र का चयन करना होगा जहां वह गेहूं बेचना चाहता है। किसान जिला एवं तहसील का चयन करेगा तो पोर्टल पर उस तहसील में क्रय केन्द्रों के नाम प्रदर्शित हो जायेंगे। क्रय केंद्र के नाम के साथ ही उस क्रय एजेंसी का नाम भी है जो उस क्रय केंद्र पर खरीद करेगी।

8- किसान भूमि विवरण कैसे जोड़ें?

1. जिला ,तहसील ,ग्राम ,खाता संख्या चुनें ।
2. उपयुक्त विवरण भरनें के बाद भूमि विवरण की सूची आएगी।
3. मालिक का नाम चुनने से पहले भूमि का प्रकार चुनें।
4. भूमि का प्रकार 3 प्रकार का हो सकता हैं।
   - **स्वयं की भूमि, बटाईदार की भूमि, विरासत की भूमि** ।
     A. स्वयं की भूमि की भूमि चुनने पर कोई document अपलोड नहीं करना पड़ेगा।
     B. बटाईदार चुननें पर document अपलोड करना पड़ेगा, और इसके संबधित विवरण भरना पड़ेगा जैसे (भूमि मालिक का जन आधार नंबर, दिनांक,बटाई एग्रीमेंट[PDF<500 kb], एग्रीमेंट जोड़ें
     C. विरासत की भूमि चुननें पर document अपलोड करना पड़ेगा, और इसके संबधित विवरण भरना पड़ेगा जैसे (भूमि मालिक का जन आधार नंबर, संबंध, दिनांक, हिस्सा(%), पटवारी प्रमाणित प्रमाण पत्र[PDF<500 kb

5. फिर उसके बाद मालिक का नाम चुनें, मालिक का नाम चुनने पर नीचे text box में दिखाएगा, साथ में कृषक के हिस्से की भूमि एंव गत वर्ष गिरदावरी अनुसार लाई जा सकने वाली अधिकतम मात्रा ।
6. उसके बाद इस सीजन लाई जाने वाली मात्रा (क्विंटल)-किसान स्वयं डालेगा।
7. इसमें एक बिन लिंक दिया गया हैं, जिसमे गत वर्ष की गिरदावरी देखी या डाउनलोड की जा सकती हैं।

   भूमि विवरण जोड़ने के लिए बटन पर क्लिक करनें।

9- किराये की भूमि/बंटाईदार/अनुबंध भूमि में रेंट एग्रीमेंट की कॉपी किस फॉर्मेट और साइज में अपलोड करनी हैं ?

पीडीएफ प्रारूप में जिसका अधिकतम आकार 50 - 500 केबी तक होनी चाहिए।

10- किसान के खाते की भूमि का विवरण कैसे जोड़ें ?

1- किसान की भूमि जिस जिले में हैं उस जिले, तहसील, ग्राम और खाता संख्या का चयन करें।

2- जिस खाता संख्या का चयन किया है उसमें किसान के खाते की भूमि मालिक का नाम, पिता का नाम, सम्बन्ध, हिस्सा और हिस्सा का परसेंटेज प्रदर्शित होगा।

11- किसान एक से अधिक भूमि विवरण को जोड़ सकते हैं क्या ?

हाँ, किसान एक या एक से अधिक भूमि के विवरण को जोड़ सकते हैं।

12- क्या किसान पंजीकरण के बाद किसान के मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा ?

हाँ, किसान को एसएमएस के माध्यम से पंजीकरण संख्या और बैंक की जानकारी प्राप्त होगी।

13- किसान को फसल बेचान हेतु दिनांक व समय का टोकन कैसे प्राप्त होगा?

किसान खुद के द्वारा पोर्टल से स्लॉट बुकिंग कर सकता हैं, इसके लिए मेनू option किसान पंजीकरण -किसान द्वारा खरीद केंद्र स्लॉट बुकिंग /संसोधन उपलब्ध हैं। इस option से किसान time स्लॉट book कर सकता हैं। बुकिंग सेंटर की Capacity और गिरदवारी 2026 के अनुसार होगी।

14-विभाग के पोर्टल से टोकन की जानकारी कैसे प्राप्त करें ?

किसान अपने टोकन एंव स्लॉट बुकिंग की जानकारी के लिए विभाग के पोर्टल पर क्लिक करें।
mspproc.rajasthan.gov.in/Farmer_Application_Status.aspx

15-किसी कारणवश दी गई तारीख पर किसान केन्द्र पर नहीं पहुंचता तो कितने दिन तक फसल की तुलवाई करा सकता हैं।

किसान खुद ही स्लॉट बुकिंग कर रहा हैं, इसलिए उसको स्वयं के द्वारा बुकिंग की गई दिनांक को ही फसल को तुलवाने के लिए पहुंचना होगा।

16-रजिस्ट्रेशन करते समय गिरदावरी अपलोड करने की आवश्यकता है क्या?

खाद्य विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को राजस्व विभाग / भू-प्रबंधन कार्यालय, राजस्थान के पास उपलब्ध भूमि अभिलेख / गिरदावरी के ऑनलाइन रिकॉर्ड से एकीकृत किया गया है। ऐसे मामले जहाँ भूमि अभिलेख व गिरदावरी अंतर्गत ऐसे मामले जहाँ गिरदावरी auto-fetch नहीं हो पा रही है, केवल उन्ही किसानों द्वारा ही लाल पर्ची मयं P-35 मोहर एवं पटवारी प्रमाणित गिरदावरी क्रय केंद्र पर प्रस्तुत करनी होगी जिसे सम्बंधित क्रय केन्द्र संचालक / किसान द्वारा खरीद पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। गिरदावरी में जिसका नाम होगा, उसी का पंजीकरण मान्य होगा।

17-क्या पोर्टल पर रात में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं?

हाँ, पोर्टल 24 घंटे चालू रहता है। किसान अपनी सुविधा से दिनांक 30/06/2026 तक दिन या रात में कभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।

18-यदि मेरी जमीन दो या दो से अधिक जिलों में है तो क्या मैं अलग-अलग जिलों में अलग-अलग समय पर उपज बेच सकता हूँ?

हाँ, मैं सभी जिलों में पृथक-पृथक रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ।

19-क्या मुझे मेरी समस्त उपज एक ही बार में ला कर बेचनी होगी?

नहीं, मैं अपनी सुविधा के अनुसार उपज को टुकड़ों में ला कर बेच सकता हूँ।

20-किसान को गेहूं खरीद हेतु पंजीकरण से पहले जन आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट कराना चाहिये?

यदि नाम में त्रुटि है तो किसान का नाम, जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है यदि वह खाता जन आधार से जुड़ा हुआ नहीं है तो खाता अपडेट कराना चाहिये।